11

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 244 / 2022 दायर दिनांक–28.12.2022

1. गीगाराम पुत्र सुण्डाराम जाति माली निवासी पहाड़िला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–वादी

बनाम

1. बालूराम पुत्र सुण्डाराम
2. दुर्गी देवी पत्नी सुण्डाराम
3. गिरधारी पुत्र सुरजाराम
4. ग्यारसीलाल पुत्र सुरजाराम
5. बनवारीलाल पुत्र सुरजाराम
6. नाहरूराम पुत्र सुरजाराम
7. रामोतार पुत्र शिवपाल
8. रोहिताश पुत्र शिवपाल
9. संतोष पुत्र शिवपाल
10. धापा पुत्री शिवपाल
11. अणची पुत्री शिवपाल
12. भाती देवी पत्नी शिवपाल समस्त जाति माली निवासीगण पहाड़िला तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
13. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ़।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री अशोक कुमार जांगिड़
वकील प्रति. :– एकपक्षीय

दावा बाबत इश्तकरार हक व
दुरूस्ती रिकॉर्ड

–:: निर्णय ::–

दिनांक–23.06.2023

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– वाके ग्राम पहाड़िला की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 338 रकबा 0.16 है0 खसरा नम्बर 347 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.36 है0 स्थित है जिसके पुराना खसरा नम्बर 31 रकबा 1 बीघा 8 विश्वा जो वादी व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 12 की खातेदारी काश्त की भूमि रही है। वादग्रस्त भूमि पुराना खसरा नम्बर 3124 रकबा 1 बीघा 8 विश्वा ग्राम चिराना में स्थित रहे है जो वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज सुण्डा, सुरजा, रामदेवा पिता लादू की खातेदारी काश्त की भूमि रही है तथा मौके पर बाकायदा पुख्ता सीमा बनाकर आबाद रहे है। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि में पूर्व में एक रास्ता कटानी खसरा नम्बर पुराना 3128 रकबा 3 विश्वा नया खसरा नम्बर 337 रकबा 0.04 है0 दर्ज रहा है उक्त दोनो खसरा नम्बर को नक्शा सीट सम्वत 2009 सन् 1952–53 में स्पष्ट रूप से दिखाया गया [illegible] आ रहा था उक्त दोनों पुराना खसरा नम्बर में जितनी भूमि को वादी व प्रतिवादी नं0 [illegible] के पूर्वज काश्त करते थे और वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण उतनी ही [illegible] व नक्शा सीट सम्वत 2035 तक बाकायदा सही रू[illegible] वादग्रस्त भूमि के 3124 रकबा 1 बीघा 8 विश्वा के सैटलमेंट [illegible] 5282 रकबा 0.17 है0 [illegible] नम्बर 5291 रकबा 0.20 है0 डाले गये फिर 5282 के वर्तमान ख[illegible] नम्बर 338 रकबा 0.17 है0, नम्बर 5291 के वर्तमान खसरा नम्बर 347 रकबा 0.20 है0 डाले गये है। इस प्रकार गैर मुमकिन रास्ता पुराना खसरा नम्बर 3128 रकबा 3 विश्वा जिसके सैटलमैंट खसरा नम्बर 5281 रकबा 0.04 है0 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 337 है0 रहे है। सम्वत् 2035 पश्चात सैटलमैंट चला सैटलमेंट के दौरान सैटलमेंट

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:10:30 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रै.)
नवलगढ़

अधिकारियों व कर्मचारियों ने नाजायज रूप से खसरा नम्बर 3128 रकबा 3 विश्वा जो सम्वत् 2009 की सीट में जितनी दूरी तक दर्ज था वहां तक ही सैटलमेंट सन् 79–80 की नक्शा सीट में दर्शाना चाहिये उतना नही दर्शाया जाकर वादी व प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर वर्तमान 347 में दर्शाया गया जिससे वर्तमान नक्शा बिल्कुल गलत दर्ज हो गया जबकि सैटलमेंट अधिकारियों व कर्मचारियों को देसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। सही स्थिति को समझने के लिए वाद पत्र के साथ नजरी नक्शा पेश किया जा रहा है नजरी नक्शा में ए से बी बिन्दु तक सैटलमेंट में नाजायज रास्ता दर्ज कर दिया जबकि वादी की भूमि खसरा नम्बर नया 347 के पूर्व में गैर मुमकिन आबादी है उक्त रास्ता सन् 1952–53 की सीट अनुसार आबादी में आकर आबादी में चला जाता है मौके पर भी आबादी मे से ही रास्ता वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 12 की भूमि से कोई रास्ता नही है वादी ने जहां रास्ता है रहवास कर रहा है परन्तु सैटलमेंट के दौरान गलत व नाजायज रूप से रास्ता दर्ज करने के कारण वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 12 के वैध अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। भविष्य में कभी भी अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उक्त वर्तमान नक्शा सीट को दुरूस्त कर पुरानी सीट सम्वत् 2005 सन् 1952–53 के अनुसार किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर पुराना 3128 रकबा 3 विश्वा रकबा लगभग 0.04 है0 ही बनता है और सैटलमेंट के दौरान सैटलमेंट अधिकारियों व कर्मचारियों ने उक्त पुराना खसरा नम्बर का रकबा 3 विश्वा का हैक्टर में 0.04 है0 ही दर्ज किया है परन्तु सैटलमेंट के दौरान तैयार नक्शा सीट में उक्त रास्ते को आगे बढाते हुये संलग्न नजरी नक्शा में ए से बी तक और आगे बढाते हुये संलग्न नजरी नक्शा में ऐ से बी तक और आगे बढा दिया जबकि रकबा सही रखा अगर रास्ता ओ आगे बढाया गया है तो उसका रकबा भी बढना चाहिये था पर रास्ता मैाके पर था न ही केवल मात्र मनमर्जी से ए से बी तक रास्ता बढा दिया जिससे वादी व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 12 के खेत में से नाजायज रास्ता नक्शा सीट में दर्ज हो गया जो वादी के वैध अधिकारों के खिलाफ शुरू से ही शून्य राजस्व रिकॉर्ड है जिसे पुरानी सीट सन् 1952–53 अनुसार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है ऐसी हालत में वादी के लिये यह दावा बाबत इश्तकरार हक दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस का पेश करना आवश्यक हुआ।

वाद पत्र मात्र नक्शा ट्रेस दुरूस्ती का है जिसमें खातेदारी संबंधी कोई विवाद नही है। इसलिए 1 लगायत 12 को प्रफोरमा डिफेन्डेंट बनाया गया है। जमाबंदी में मनीदेवी पत्नी सुरजाराम का नाम दर्ज है जिसका देहान्त हो चुका है। उसके वारिसान पूर्व से रिकॉर्ड में दर्ज है। खातेदारी संबंधी विवाद नही होने से उसके हिस्सा बाबत कोई उल्लेख नही किया गया है।

इस्तदुआ वादी यह है कि दावा हाजा की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नानुसार सादिर फरमाई जावें:– वाके ग्राम पहाड़िला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 338 रकबा 0.16 है0 खसरा नम्बर 347 रकबा 0.20 है0 में से वर्तमान खसरा नम्बर 347 रकबा 0.20 है0 के पुराने खसरा नम्बर 3124 की नई नक्शा सीट सम्वत् 2009 सन् 1952–53 अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस दुरूस्त किये जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जावे। अन्य सिद्दि जो चाही जाने से रह गई हो वादी के हक मे पड़ती हो वह भी दिलाई जावे।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने बाद अवलोकन दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा0 14 की तामिल सम्यक रूप होने पर इनके ओर से कोई उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में विवाद्यक बनाये जाने की आवश्यकता नही रह जाती है।

साक्ष्य वादी में स्वयं वादी गीगाराम पुत्र सुण्डाराम उपस्थित होकर चीफ का सपथ पत्र पेश किया तथा अपने वाद–पत्र के संबंध में प्रदर्श 1 नकल मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श 2 नकल मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श 3 नकल जमाबंदी संवत 2020–2023, प्रदर्श 4 नकल जमाबंदी संवत 2029–2032, प्रदर्श 5 नकल जमाबंदी संवत 2024–2026, प्रदर्श 6 नकल जमाबंदी संवत 2016–2019, प्रदर्श 7 नकल जमाबंदी संवत 2012–2015, प्रदर्श 8 नकल जमाबंदी संवत 2063–2060, प्रदर्श 9 नकल [illegible] संवत 2057–2060, प्रदर्श 10 नकल जमाबंदी संवत 2055–2057, प्रदर्श 11 नकल जमाबंदी संवत [illegible]7–2[illegible], प्रदर्श 11 नकल जमाबंदी संवत 2057–2059, प्रदर्श 12 नकल जमाबंदी संवत [illegible] प्रदर्श [illegible] नकल मिलान क्षैत्रफल संवत् 2055, प्रदर्श 14 नकल जमाबंदी संवत 2020–2023, प्रदर्श 15 [illegible] दस्तावेजात प्रदर्शित करवायें।

शहादत वादी पेश होने के पश्चात बहस वकील वादी [illegible]ी गई। बहस का मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार वाके ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kahwar
Date: 2023.08.15 09:10:30 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

पहाड़िला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 338 रकबा 0.16 है0 खसरा नम्बर 347 रकबा 0.20 है0 में से वर्तमान खसरा नम्बर 347 रकबा 0.20 है0 के पुराने खसरा नम्बर 3124 की नई नक्शा सीट को सम्वत् 2009 सन् 1952–53 के अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

:: **आदेश** ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम पहाड़िला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 338 रकबा 0.16 है0 खसरा नम्बर 347 रकबा 0.20 है0 में से वर्तमान खसरा नम्बर 347 रकबा 0.20 है0 के पुराने खसरा नम्बर 3124 की नई नक्शा सीट को सम्वत् 2009 सन् 1952–53 के अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस दुरूस्त किये जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 23.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर व
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
ए.सी.एम. ( )
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:10:30 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़ दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

दावा बाबत इश्तकरार हक
व रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– **244 / 2022** **(गीगाराम बनाम बालूराम आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक **23.06.2023** निर्णय के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम पहाड़िला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 338 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 347 रकबा 0.20 है0 में से वर्तमान खसरा नम्बर 347 रकबा 0.20 है0 भूमि के पुराने खसरा नम्बर 3124 की नई नक्शा सीट को सम्वत् 2009 सन् 1952–53 के अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस दुरूस्त किये जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगें।

जिन............–............. मुबलिग............–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–..... ..फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 23.06.2023 को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुददई पैसे	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	06.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा –		बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान 00	04.00	मुतफरिक मिजान	0.
कुल 00	16.00		0.

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:10:30 IST
Reason: SelfAttested